आधार पर आवेदकगण का प्रथम दृष्टिया मामला ही नहीं बनता है क्योंकि जिन भूमियों के संबंध में अनुतोष चाहा है वे सभी भूमियां पृथक पृथक रूप से खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। भूमियों के विभाजन के लिए नियमानुसार एक खाते की भूमि में सभी खातेदारान के नाम दर्ज होना आवश्यक है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में नहीं होने के कारण आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई क्षति होने की संभावना भी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु ही आवेदकगण के पक्ष में नहीं है। जहां तक प्रकरण अनावेदकगण संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 39 नियम 4 व सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रश्न है, जब प्रकरण में अंतिम निर्णय हो रहा है तो इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाने के कारण खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित है। उक्त विवेचन से आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम व अ0 आदेश 39 नियम 1 व 2 व आदेश 40 नियम 1 व धारा 151 सि. प्र. स. आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। वकील आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त इस प्रकरण में वस्ता यानि कही भी लागू नहीं होते है।

आदेश

आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम व अ0 आदेश 39 नियम 1 व 2 व आदेश 40 नियम 1 व धारा 151 सि. प्र. स. एवं अनावेदगण संख्या 4 व 5 का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 39 नियम 4 व सपठित धारा 151 सीपीसी आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 15/9/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner